न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या 60 / 2019 (उदयपुर डिक्री)

दुदा पिता कालु जी गाडरी, निवासी डबोक, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती राजु बाई पुत्री कालु जी गाडरी, निवासी डबोक, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. चतरा पिता तुलसा जी गाडरी, निवासी डबोक, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
3. मोहन पिता उदा जी गाडरी, निवासी डबोक, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
4. देवा पिता उदा जी गाडरी, निवासी डबोक, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
5. मु. गंगा पत्नी स्वर्गीय बाबरिया जी गाडरी, निवासी डबोक, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
6. श्रीमती दाखु पुत्री बाबरिया जी गाडरी, निवासी डबोक, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
7. श्रीमती धुली बाई पुत्री नारायण पत्नी वाला जी गाडरी, निवासी डबोक, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
8. सवला पिता रोडा जी गाडरी, निवासी डबोक, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज.)
10. उप पंजीयक कार्यालय मावली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
11. पटवारी, पटवार हल्का आमली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0–1955 विरूद्ध निर्णय
व डिक्री उपखण्ड अधिकारी मावली
दिनांक 31.01.2019 प्र.सं. 333 / 08

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1– श्री तुलसीराम डांगी अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री संजय बोहरा अभिभाषक रे.सं. 2 से 8
3– श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक

———::———

निर्णय **दिनांक 02–03–2020**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा डबोक में आराजी वाद पत्र की कलम संख्या 1 वर्णित परिशिष्ट ''क'', ''ख'', ''ग'' व ''घ' की आराजियात अंकित होकर उनमें अंकित हिस्से अनुसार पक्षकारान के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। पक्षकारान का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार होकर मूल पुरूष गमाना जी थे। वादिया गमाना जी की पौत्री होने से उसका भी विवादित भूमियों में हक हिस्सा निहित होकर अपने हिस्से की भूमि पर काबिज है। अतः कलम संख्या 1 वर्णित परिशिष्ट ''क'', ''ख'', ''ग'' व ''घ' की आराजियात का वादीगण के हक हिस्से अनुसार विभाजन कराया जाकर खातेदार घोषित किया जावे तथा स्थायी निषेधाज्ञा दिलायी जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों को सुनकर अपने निर्णय दिनांक 28–04–2017 से वादीया का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री किया एवं प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 31–01–2019 को अंतिम डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 09–12–2019 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 8 की ओर से वकील श्री संजय बोहरा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 9, 10, 11 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मयाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 11–11–2019 को हुई, जिस पर अपीलान्ट ने नकल प्राप्त कर अपील प्रस्तुत कर दी। अतः मयाद कण्डोन की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

उक्त आवेदन का जवाब रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन कियाकि अपील स्वयं अधिनस्थ न्यायालय में वक्त निर्णय उपस्थित थे, फिर भी अपील करीब 9 माह विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है। अतः अपील मयाद के बिन्दु पर ही खारिज की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें आर.बी.जे. (26) 2019 पेज 658, आर.आर.टी. 2018 (1) पेज 188 एवं आर.आर.टी. 2017 (1) पेज 711 प्रस्तुत की।

उक्त आवेदन पर उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व

डिक्री दिनांक 31–01–2019 के विरूद्ध इस न्यायालय में अपील दिनांक 09–12–2019 को प्रस्तुत की गयी है, जो करीब 9 माह वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गयी एवं देरी का जो कारण बताया गया है, वह उचित एवं पर्याप्त कारण नहीं है। फिर भी न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है, दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने बताया कि विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं किया गया है तथा अपीलान्ट की अनुपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार किया गया है, जिसमें रेस्पोन्डेन्ट से मिली भगत कर अपीलान्ट के हिस्से में कम कीमती व खराब भूमि रखी गयी है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व अंतिम डिक्री निरस्त फरमायी जावे तथा विभाजन प्रस्ताव स्वयं तहसीलदार द्वारा अपीलान्ट की उपस्थिति में तैयार कर पुनः अंतिम निर्णय व डिक्री जारी की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को उपलब्ध साक्ष्यों के अनुरूप होना बताते हुए अपील खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि फर्द बंटवारे पर तहसीलदार के हस्ताक्षर हैं, तदनुसार बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं किया गया हो, ऐसा प्रथम दृष्टया प्रकट नहीं होता है तथा बंटवाड़े में सभी पक्षकारों को लगभग बराबर–बराबर भूमि दी गयी है, जिसके आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अंतिम डिक्री जारी की गयी है, जो प्रथम दृष्टया विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 31–01–2019 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 02–03–2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.** .....

दुदा पिता कालु जी गाडरी, निवासी डबोक, तह. मावली, जिला उदयपुर बनाम **श्रीमती राजुबाई पुत्री कालु गाडरी, निवासी डबोक, तहसील मावली, जिला उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**60/2019**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
..... **मावली** ..... मुकाम.....मुवर्खे.....**31**.....माह.....**01**.....**2019**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**02**....माह.....**03**.....सन् **2020** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री तुलसीराम डांगी**.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री संजय बोहरा** .....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 31–01–2019 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**02**.....माह.....**03**.....**2020** को जारी किया गया ।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2020.06.23 13:08:10 IST
Reason: SelfAttested
Location: